



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2015/कार्तिक 18, 1937

No. 694]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2015/ KARTIKA 18, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

सा.का.नि.847(अ).—केंद्रीय सरकार चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में, (जिसे एतदपश्चात् मूल नियम कहा जाएगा), नियम-7, उप-नियम (1) में अंक "22" के बाद अंक और अक्षर 22-ए अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल नियम में, नियम 22, उप-नियम (4), खण्ड (ख) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण" - नियम 22-ए के उप-नियम (3) के इस खण्ड और खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए:-

(क) "पुनः वित्तपोषण" में किसी वित्तीय संस्था अथवा अनुसूचित बैंक वित्तीय संस्था अथवा बैंक जिसके मूल्यांकन के लिए, जिसे चीनी विकास निधि संघटक प्रस्तावित है, से लिए गए ऋण की उपलब्धि सम्मिलित है, किंतु चीनी विकास निधि पर स्थायी समिति को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चीनी विकास निधि संघटक के स्थान पर लिया गया "सेतु ऋण" सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) "सेतु ऋण" से किसी वित्तीय संस्थान से निधि ऋण के स्थान पर लिया गया अल्पकालिक ऋण अभिप्रेत है और इसका पुनः भुगतान इसके संवितरण के बाद किया जाएगा।

4. मूल नियम में, नियम 22 के बाद निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"22ए". मौजूदा एथनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र में परिवर्तित करने के लिए ऋण:-

- (1) किसी उपक्रम का कोई चीनी कारखाना, जिसकी संस्थापित क्षमता दो हजार पांच सौ टन पेराई प्रतिदिवस अथवा अधिक है, जिसे अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की स्थापना द्वारा मौजूदा एथनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र में परिवर्तन हेतु एक

परियोजना कार्यान्वित करने के लिए किसी वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक से वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, इस नियम के अंतर्गत ऋण के आवेदन हेतु पात्र होगा।

बशर्ते वित्तीय संस्था अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा अपेक्षित संप्रवर्तक के अंशदान के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत किसी उपक्रम के चीनी कारखाना द्वारा स्व-सृजित आंतरिक निधि से पूरा किया जाएगा।

(2) कोई चीनी कारखाना जिसने निधि के संबंध में देय हुए और उदग्रहण चीनी कीमत समीकरण निधि के संदाय में व्यतिक्रम किया है, इस नियम के अधीन ऋण के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

(3) कोई चीनी कारखाना इस नियम के अधीन निम्नलिखित किसी भी कारण से ऋण के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) यदि ऋण बरती हुई परियोजना, उपस्कर और मशीनरी के संबंध में हो;

बशर्ते कोई उपक्रम निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना के लिए ऋण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा जहां बरते गए उपस्कर अथवा मशीनरी प्रयुक्त की गई हो अथवा करने का प्रस्ताव हो, अर्थात्:

(i) ऐसी बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की विशिष्टता का सम्पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जो आवश्यक रूप से नए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर से मिलकर बनते हैं;

(ii) यह तकनीकी रूप से प्रमाणित होगा कि बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की सम्पूर्ण दक्षता और अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(iii) इस प्रकार उपयोग की गई पुरानी मशीनरी या उपस्कर का उपयोग पूर्ण अवधि चीनी विकास निधि ऋण के प्रतिसंदाय की मियाद से कम नहीं होगी;

(iv) उप खण्ड-(i) से खण्ड-(iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, मशीनरी या उपस्कर की प्राक्कलित या वास्तविक लागत, जो नई नहीं है, की चीनी विकास निधि ऋण के प्रयोजन के लिए पात्र परियोजना लागत पर पहुंचने से पूर्व परियोजना की प्राक्कलित या वास्तविक लागत से कटौती की जाएगी;

(ख) पुनः वित्त-पोषण;

(ग) लागत से अधिक का वित्त-पोषण;

(घ) इन नियमों के अधीन आवेदन की तारीख के पूर्व स्थापित परियोजना;

(ङ.) कोई ऐसा चीनी उपक्रम जिसने अपने किसी भी चीनी कारखाने के लिए उस निधि के अंतर्गत लिए गए ऋण के संदाय में या उदग्रहण चीनी मूल्य समीकरण के अंतर्गत देयता के संदाय में व्यतिक्रम किया है।

(4) (i) समिति केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस नियम के अधीन ऋण के लिए आवेदन करने से चीनी कारखाना किसी वर्ग या वर्गों को अपात्र बना सकेगी:

(ii) समिति या उप-समिति यदि यह विनिश्चय करती है कि आवेदक पात्र नहीं है तो उसके कारण लिखित रूप से अभिलिखित करेगी।

(5) इस नियम के अधीन पात्र चीनी उपक्रम उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, की लगातार पिछले तीन पूर्ववर्ती वर्षों के उसके तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखा की प्रत्येक की एक प्रति फॉर्म-VIII-क में, दो प्रतियों में आवेदन के साथ समिति को प्रस्तुत करेगा।

(6) (i) उप-नियम (5) के अधीन किए गए सभी आवेदन प्रथमतः इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा गठित उप-समिति के समक्ष रखे जाएंगे;

(ii) समिति का सदस्य-सचिव जो समिति का संयोजक होगा, ऋण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उप-समिति का प्रत्येक माह में एक अधिवेशन बुलाएगा;

(iii) उप-समिति आवेदन और सभी अन्य सुसंगत बातों पर विचार करेगी और समिति के अगले अधिवेशन में उसके विचार के लिए अपनी सिफारिशें देगी।

(7) समिति और उप-समिति के लिए यह खुला होगा कि वह आवेदक से कोई और जानकारी की मांग कर सकेगी या उनकी सिफारिश करने के पूर्व आवेदन से संबंधित किसी पहलू पर अन्वेषण और रिपोर्ट देने के लिए किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ-समूह को मामले को निर्देशित कर सकेगी।

(8) (i) समिति, उप-समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् और उप-नियम (7) के अधीन समिति द्वारा प्राप्त जानकारी या रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् और सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् ऋण की रकम, जो चीनी कारखाने को दी जा सकेगी, के बारे में अपनी सिफारिशें करेगी।

(ii) समिति केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चीनी उपक्रम को दी जाने वाली ऋण की रकम के संबंध में सीधे केंद्रीय सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकेगी।

(9) जिस चीनी उपक्रम ने इस नियम के अंतर्गत आने वाले ऋण के लिए आवेदन किया है, उसके संबंध में केंद्रीय सरकार चीनी कारखाने की उनकी सक्षमता का सुधार करने की दृष्टि से समिति की सिफारिशें और किसी अन्य सुसंगत बात पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक द्वारा अपेक्षित रकम से अनधिक ऋण की ऐसे चीनी कारखाने द्वारा अभिदाय की जाने वाली जो संप्रवर्तकों के अभिदाय के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, चीनी कारखाने को संदाय प्राधिकृत कर सकेगी।

(10) उप-नियम (9) के अधीन प्राधिकृत ऋण की रकम केंद्रीय सरकार द्वारा चीनी कारखाने को संवितरित की जाएगी या उसके द्वारा यथास्थिति वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक को, या तो एकमुश्त या दो या तीन किस्तों में, जैसा केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, चीनी कारखाने को संवितरण के लिए संवत्त की जाएगी।

(11) यथास्थिति वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक प्राधिकृत रकम को संप्रवर्तकों के अभिदाय के भाग के रूप में मानेगा।

(12) (i) निधि से ऋण, उस पर देय ब्याज सहित, की वसूली अर्धवार्षिक किस्तों में, जो संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, की जाएगी।

(ii) ऋण का प्रतिसंदाय एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ होगा जिसकी गणना निधि से ऋण के प्रत्येक संवितरण की तारीख से होगी।

(13) (i) उप-नियम (9) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत ऋण के संवितरण से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय सरकार, चीनी उपक्रम और वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय करार अथवा केंद्रीय सरकार एवं चीनी उपक्रम के बीच एक द्विपक्षीय करार होगा।

(ii) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट करार में ऋण के उपयोग जिसके अंतर्गत इस निमित्त सरकार द्वारा अभिहित अभिकरण द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की मानीटरी भी है, प्रतिसंदाय की अवधि जिसके अंतर्गत किस्त की संख्या और रकम है, ब्याज का संदाय ऐसे प्रतिसंदाय या संदाय की रीति, ऋण के लिए दी जाने वाली प्रतिभूति और ऋण से समनुषंगी को अन्य विषय के संबंध में निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट होंगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए "चीनी कारखाना" पद में एल्कोहॉल या शीरा से निर्जल एल्कोहॉल या एथानॉल के उत्पादन के लिए निमित्त स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार उक्त चीनी कारखाने द्वारा कच्ची सामग्री प्रदाय की जाती है, के लिए कोई ईकाई (जो चीनी कारखाने के परिसर के भीतर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है) सम्मिलित है।

5. मूल नियम में, नियम 24, उप-नियम (1), अंक "22" के बाद अंक और अक्षर 22-ए अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. मूल नियम में, नियम 25, उप-नियम (1), अंक "22" के बाद अंक और अक्षर 22-ए अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. मूल नियम में, नियम 26, उप-नियम (1), अंक "22" के बाद अंक और अक्षर 22-ए अंतःस्थापित किए जाएंगे।

प्रारूप VII क

(नियम 22क का उप-नियम (5) देखें)

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम:

2. पता:

(i) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:

(ii) कारखाने की अविस्थिति:

3. गठन (सहकारी सोसाइटी, प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,

संयुक्त सेक्टर/पब्लिक सेक्टर कंपनी)

4. निगमन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख

5. विद्यमान क्रियाकलाप/पूर्व कार्य-निष्पादन

(i) संक्षिप्त में वर्तमान क्रियाकलापों को बताएं

(ii) गत 3 वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन

क. मुख्य उत्पादन और प्रचालन परिणाम (उस कार्य के पूर्व तीन क्रमवर्ती वर्षों के लिए जिसमें आवेदन किया गया है)

को समाप्त वर्ष

200 200 200

- (13) साम्य पर रिटर्न $(11)/(12) \times (100)$
 (14)की समाप्ति पर ऋण
 (15) ऋण पर औसत ब्याज दर $(8\text{ख})/(14) \times (100)$
 (16) पूंजी की मापित औसत लागत

$$[(12) \times (13) + (14) \times (15)] / [(12) + (14)]$$

II.

- (1) संदेय गन्ना कीमत (लाख रुपए)
 (2) संदत्त गन्ना कीमत (लाख रुपए)
 (3) बकाया गन्ना कीमत (लाख रुपए)

ग

वित्तीय स्थिति

(उस वर्ष के पूर्व तीन क्रमवर्ती वर्षों के लिए जिसमें आवेदन किया गया है)

.....को समाप्त वर्ष
 200 200 200

I.

निधियों का स्रोत

1. शेयर धारकों/स्वामियों की निधियां

(क) पूंजी

(ख) आरक्षित और अधिशेष

कुल

2. उधार निधियां

(क) प्रतिभूति उधार

1. आवधिक उधार

2. चीनी विकास निधि उधार

3. कार्यकारी पूंजी उधार

योग :

(ख)

अप्रतिभूति उधार

1. बैंक/एफ0आई0

2. अन्य

योग :

योग (क+ख)

(1) का योग

II

निधियों का उपयोग

1. स्थिर आस्तियां

(क) सकल ब्लाक

घटाइए : अवक्षयण

(ख) शुद्ध ब्लाक

जोड़िए : प्रगति में पूंजी कार्य

योग :

2. विनिधान

3. काम काज पूंजी

3.1 चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

(क) माल सूची

(ख) खुदरा लेनदार

(ग) नकद और बैंक अतिशेष

(घ) अन्य चालू आस्तियां

(ड.) उधार और अग्रिम

कुल योग (क से ड. तक)

3.2 चालू दायित्व और उपबंध

(क) चालू दायित्व

(ख) उपबंध

कुल योग (क+ख)

कामकाज पूंजी (3.1-3.2)

(II) का योग

6. प्रबंध

(क) निदेशक

(ख) कार्यपालिका व्यवस्था

7 क. (1) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और चीनी कारखाने का प्रचालन/क्षमता सुधारने के लिए यह परियोजना कैसे आशयित है

(परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें)

(2) प्रस्तावित एथेनाल विनिर्माण क्षमता

('000 लीटर)

(3) परियोजना क्रियान्वयन अवधि (मास)

ख. मूल्यांकन के रूप में वित्तीय ब्यौरा (लाख रूपए)

(1) परियोजना की पूंजी लागत

(2) वित्त पोषण के स्रोत

साधारण पूंजी:

(क) संवर्धक का योगदान ऋण:

(क) चीनी विकास निधि उधार

(ख) आवधिक उधार

कुल विनिधान

(ग) परियोजना क्षमता के ब्यौरे

(1) साधारण पूंजी पर औसत प्रत्यागम (%)

(2) ऋण पर औसत ब्याज दर (%)

(3) पूंजी की वेटेड औसत लागत (%)

(4) औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात

(5) पे बैक अवधि (वर्ष)

(6) शुद्ध वर्तमान मूल्य ('000 रूपए)

(7) प्रत्यागम की आंतरिक दर (%)

8 क्या परियोजना को इसकी सुगंगत स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्था अनुसूचित बैंक द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है (स्कीम का नाम और स्कीम के वित्त पोषण का पैटर्न)

(क) यदि ऐसा है, तो मुख्य संस्था द्वारा जारी "आशय पत्र" की प्रमाणित सही प्रति संलग्न करें।

(ख) ब्याज दर, पुनः संदाय अवधि और प्रतिभूति सहित मुख्य संस्था द्वारा अनुबंध सामग्री, सामग्री प्रकृति की किसी दशा को सूचीबद्ध करें)

9 कृपया संलग्न प्रोफार्मा में परियोजना लाभ प्रदता और नकद

प्रवाह विवरण प्रस्तुत करें।

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदभिधान:

चीनी कारखाना (अधिभोगी) का नाम और पता:

अनुबंध

परियोजना लाभप्रदता और नकद प्रवाह विवरण
(विनिधान के लिए वर्ष और पश्चातवर्ती 10 वर्ष के लिए)

.....को समाप्त वर्ष

200 200 200

(लाख रूपए में)

क्षमता का उपयोग (%)

लाभप्रदता

(1) उत्पाद शुल्क का शुद्ध विक्रय

(2) घटाइए :

प्रत्यक्ष उत्पादन व्यय

(3) सकल लाभ (1-2)

(4) घटाइए

(क) विनिर्माण व्यय

(ख) प्रशासनिक व्यय

(ग) विक्रय और वितरण व्यय

(4) का योग

(5) अवक्षयण से पूर्व प्रचालन लाभ और ब्याज (3-4)

(6) जोड़िए: अन्य आय

(7) अवक्षयण से पूर्व शुद्ध लाभ और ब्याज (5+6)

(8) घटाइए:

(क) अवक्षयण

(ख) ब्याज

(8) का योग

(9) कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ (7-8)

(10) घटाइए:

कराधान के लिए उपबंध

(11) कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (9-10)

(12)के अंत में साधारण पूंजी

(13) साधारण पूंजी पर प्रत्यागम $[(11)/(12) \times 100]$

(14)के अंत में ऋण

(15) ऋण पर औसत ब्याज $[(8\text{ख})/(14) \times 100]$

(16) पूंजी की अधिक औसत लागत

$[(12) \times (13) + (14) \times (15) / (12) + (14)]$

2.

नकदी प्रवाह

(1) कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (मद 1(11) देखिए)

(2) जोड़िए: लाभ की विकलित करने वाली मदें और हानि लेखा के मद्दे डाले जाने वाली मदें

(क) अवक्षयण

(ख) ब्याज व्यय

(ग) आय कर उपाबंध

(घ) अन्य गैर नकदी नामें रकम

(2) का योग

(3) कुल योग (1+2)

(4) घटाइए: लाभ और हानि लेखा में प्रत्यय की गई मदें

(क) ब्याज व्यय

(ख) लाभांश आय

(ग) अन्यप्रत्यय (विनिर्दिष्ट करें)

(4) का योग

(5) कुल योग (3-4)

(6) घटाइए:

(क) संदत्त ब्याज

(ख) संदत्त आय कर

(ग) संदत्त लाभांश

(6) का योग

(7) कुल योग (5-6)

(8) जोड़िए: वास्तव में प्राप्त की गई राजस्व प्राप्तियां

(क) ब्याज

(ख) लाभांश

(ग) अन्य प्राप्तियां (विनिर्दिष्ट करें)

(8) का योग

(9) कुल योग (7+8)

(10) कामकाज पूंजी परिवर्तन

(1) जोड़िए:

(क) खुदरा ऋण/प्राप्यों में कमी

(ख) मालसूचियों में कमी

(ग) खुदरा लेनदारों/संदेयों में बढ़ोत्तरी

(1) का योग

(2) घटाइए:

(क) खुदरा ऋण/प्राप्यों में बढ़ोत्तरी

(ख) मालसूचियों में बढ़ोत्तरी

(ग) खुदरा लेनदारों/संदेयों में कमी

(2) का कुल

मद 10 का कुल योग [(i)-(ii)]

(11) प्रचालन से नकद प्रवाह (9+10)

(12) पूंजी मद

(i) जोड़िए:

(क) शेयर पूंजी का निर्गम

- (ख) डिबेंचर का निर्गम
 (ग) दीर्घकालिक ऋण
 (घ) आस्तियों का विक्रय
 (i) का योग
 (ii) घटाइए:
 (क) परियोजना में विनिधान
 (ख) पूंजी का मोचन
 (ग) डिबेंचरों का मोचन
 (घ) दीर्घकालिक ऋण का पुनःसंदय
 (ii) का योग
 मद 12 का योग [(i)-(ii)]
 (13) कुल शुद्ध नकद प्रवाह (11+12)
 (14) ऋण सेवा कवरेज [(11)/(2ख+12ज)/(1-कर दर)]
 (15) पे बैक की अवधि (वर्ष)
 (16) शुद्ध वर्तमान मूल्य (ऊपर 1(16) पर बढ़ा दर)
 (17) प्रत्यागम की आंतरिक दर

[फा. सं. 11-18/2015-एसडीएफ]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव, (एसएण्डएसए)

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 75(अ) तारीख 27 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्या 210(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2013 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2015

G.S.R. 847(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 read with sub-section (2) of section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 7, in sub-rule (1), after the figures “22”, the figures and letter “22A” shall be inserted.

3. In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (4), in clause (b), for the *Explanation*,

The following *Explanation* shall be substituted, namely:—

“*Explanation*. — For the purposes of this clause and clause (b) of sub-rule (3) of rule 22A,—

(A) “refinancing” includes availing of loan for repayment of loan taken from any financial institution or scheduled bank before applying to a Financial Institution or bank for appraisal in which Fund component is proposed, but shall not include a “bridge loan” taken *in lieu* of Fund component after submitting an application to the Standing Committee on Fund;

(B) “bridge loan” means a short loan from any Financial Institution *in lieu* for Fund loan and the same shall be repaid on disbursement of the same.”

4. In the principal rules, after rule 22, the following rule shall be inserted, namely:—

"22A. Loan for conversion of existing ethanol plant into zero liquid discharge plant.—(1) Any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of two thousand five hundred Tonnes crushed per day or higher to which financial assistance has been approved by a Financial Institution or a scheduled bank for it to implement a project for conversion of existing ethanol plant into zero liquid discharge plant by installing the required plant and machinery shall be eligible to apply for loan under this rule:

Provided that ten per cent of the project cost shall be met by the sugar factory of an undertaking from its own internal generation of fund as part of the promoters contribution required by the Financial Institution or the scheduled bank.

(2) A sugar undertaking which is in default of payment that has become due in respect of the Fund and the Levy Sugar Price Equalisation Fund relating to any of the sugar factories or units under it shall not be eligible to apply for a loan under this rule.

(3) A sugar undertaking shall not be eligible to apply for a loan under this rule for any of the following reasons or purposes, namely: -

(a) if loan is with respect to a second hand project, equipment or machinery:

Provided that a sugar undertaking shall be eligible to apply for a loan for a project where second hand equipment or machinery has been used or is proposed to be used, subject to the following conditions, namely:-

(i) use of such second hand machinery or equipment shall not change the overall character of the project, which shall essentially consist of new plant, machinery and equipment;

(ii) it shall technically be certified that the use of the second hand machinery or equipment shall not affect the overall efficiency and life of the project;

(iii) the useful life of the second hand machinery or equipment so used shall not be less than the term of repayment of sugar development fund loan;

(iv) subject to fulfilment of conditions specified in sub-clauses (i) to (iii), the estimated or actual cost of machinery or equipment which are not new shall be deducted from the estimated or actual cost of the project before arriving at the eligible project cost for the purpose of Fund loan;

(b) refinancing;

(c) financing of cost over run;

(d) project commissioned prior to the date of application under these rules;

(e) if such sugar undertaking is a defaulter in respect of repayment of loan availed under Fund or in payment of any dues under the Levy Sugar Price Equalisation Fund in respect of any of its sugar factories.

(4) (i) The Committee may, with the previous approval of the Central Government make any class or classes of sugar undertaking ineligible for loan under this rule:

(ii) The sub-committee or Committee shall record the reasons in writing if it decides that an applicant is not eligible for loan.

(5) An eligible sugar undertaking under this rule, shall make an application to the Committee in Form VII-A in duplicate along with a copy each of its balance sheet and profit and loss account for the last three consecutive years preceding the year in which the application is made.

(6) (i) All applications made under sub-rule (5) shall first be placed before the sub-committee;

(ii) The Member- Secretary of the Committee, who shall be the Convener of the Committee, shall call a meeting of the sub-committee once in a month where there is application for loan.

(iii) The sub-committee shall consider the application and all other relevant factors and give its recommendation for the consideration of the Committee in its next meeting.

(7) It shall be open to the Committee and the sub-committee to call for any further information from the applicant or refer the matter to an expert or group of experts or expert organisations to make an investigation and report on any aspect relating to the application before making their recommendations.

(8) (i) The Committee shall after taking into account the recommendations of the sub-committee, and after considering the information or report obtained by the Committee under sub-rule (7), if any, and all relevant aspects, make its recommendations as to the amount of loan that may be made to the sugar undertaking.

(ii) The Committee may also, with the previous approval of the Central Government, issue directions to the sub-committee to make a recommendation directly to the Central Government on the amount of loan that may be made to the sugar undertaking.

(9) In respect of a sugar undertaking that has applied for a loan, falling under this rule, the Central Government may after consideration of the recommendation of the Committee and any other relevant factor with view to improving its viability, authorise payment of such amount of loan not exceeding the amount required by the Financial Institution or the scheduled bank, as the case may be, to be contributed by such sugar undertaking as promoters' contribution as may be determined by the Central Government.

(10) The amount of loan authorised under sub-rule (9) shall be disbursed by the Central Government to the sugar undertaking or paid by it to the Financial Institution or the scheduled bank, as the case may be, for disbursement to the sugar undertaking either in lump sum or in instalments as may be considered necessary by the Central Government.

(11) The Financial Institution or the scheduled bank, as the case may be, shall treat the amount authorised as a part of the promoters' contribution.

(12) (i) The loan from the Fund along with the interest due thereon shall be recovered in half-yearly instalments not exceeding eight in number.

(ii) The repayment of the loan with interest thereon shall commence after the expiry of one year reckoned from the date of each disbursement of the loan from the Fund.

(13) (i) The disbursement of the loan authorised by the Central Government under sub-rule (9) shall be preceded by a tripartite agreement between the Central Government, the sugar undertaking and the Financial Institution or the scheduled bank, or a bilateral agreement between the Central Government and the sugar undertaking, as the case may be.

(ii) The agreement referred to in clause (a), shall contain the terms and conditions with regard to the utilisation of the loan including monitoring of the implementation of the project by an agency designated by the Central Government in this behalf, the period of repayment including the number and amount of instalment, payment of interest, the manner of such repayment or payment, security to be provided for the loan and any other matter incidental to the loan.

Explanation.— For the purpose of this rule, the expression "sugar factory" includes any unit thereof (which may or may not be within the premises of the sugar factory) used for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or from molasses for which raw material is supplied by such sugar factory in accordance with the norms specified by the Committee in this behalf."

5. In the principle rules, in rule 24, in sub rule (1), after the figures "22", the figures and letter "22A" shall be inserted.

6. In the principle rules, in rule 25, in sub rule (1), after the figures "22", the figures and letter "22A" shall be inserted.

7. In the principle rules, in rule 26, in sub rule (1), after the figures "22", the figures and letter "22A" shall be inserted.

Form VII A

(see sub-rule (5) of rule 22A)

Application for Financial Assistance from the Fund for implementing projects for **Zero Liquid Discharge (ZLD)**

1. Name of applicant:
2. Address:
 - (i) Registered Office
 - (ii) Location of the factory
3. Constitution (Whether Co-operative Society
Private/Public Limited Company/Joint Sector/
Public Sector Company):
4. Date of Incorporation/Registration:
5. Existing Activity/Past performance:
 - (i) Briefly state the present activities;
 - (ii) Performance during the last 3 years

A. Salient production and operating results	Year ended		
(for three consecutive years preceding the year in which the application is made)	200	200	200
(1) Licensed crushing capacity (tonnes crushed per day)			
(2) Installed crushing capacity (tonnes crushed per day)			
(3) Licensed capacity of the alcohol manufacturing plant (₹000 litres)			
(4) Installed capacity of the alcohol manufacturing plant (₹000 litres)			
(5) Installed capacity of ethanol manufacturing plant (₹000 litres)			
(6) Capacity utilisation (% of installed capacity)			
(a) Sugar			
(b) Alcohol			
(c) Ethanol			
(7) Production			
(a) Sugar (₹000 tonnes)			
(b) Alcohol (₹000 litres)			
(c) Ethanol (₹000 litres)			
¹ [(d) Molasses]			
B. Working results:	Year ended		
(for three consecutive years preceding the year in which the application is made)	200	200	200
I. (1) Sales net of Excise Duty			
(i) Sugar			
(ii) Alcohol			
(iii) Any other product			
Total of (1)			
(2) Less:			
Direct Production Expenses			
(3) Gross Profit (1-2)			
(4) Less:			
(a) Manufacturing Expenses			
(b) Administrative Expenses			
(c) Selling and Distribution Expenses			
Total of (4)			
(5) Operating Profit before depreciation and interest (3-4)			
(6) Add: Other income			
(7) Net profit before depreciation and interest (5+6)			

- (8) Less:
- (a) Depreciation
- (b) Interest
- Total of (8)
- (9) Net profit before taxation (7-8)
- (10) Less:
- Provision for taxation
- (11) Net profit after tax (9-10)
- (12) Equity as at the end of
- (13) Return on equity $[(11/(12)*100]$
- (14) Debt as at the end of
- (15) Average interest rate on debt $[(8b)/(14)*100]$
- (16) Weighted average cost of capital
- $[(12)*(13)+(14)*(15)]/[(12)+(14)]$

- II. (1) Cane price payable (Rs. lakhs)
- (2) Cane price paid (Rs. lakhs)
- (3) Cane price arrears (Rs. lakhs)

C. Financial position	Year ended		
(for three consecutive years preceding the year in which the application is made)	200	200	200

I. Sources of Funds

1. Shareholders'/owners' funds
- (a) Capital
- (b) Reserve and surplus
- Total
2. Loan Funds
- (a) Secured Loans
1. Term loans
2. Sugar Development Fund Loans
3. Working Capital Loans
- Total
- (b) Unsecured Loans
1. From Banks/Fls.
2. Others

Total

Total (a+b)

Total of (1)

II. Application of Funds

1. Fixed Assets
- (a) Gross Block
- Less: Depreciation

(b) Net Block

Add: Capital work in progress

Total

2. Investments

3. Working capital

3.1 Current Assets Loans and Advances:

(a) Inventories

(b) Sundry Debtors

(c) Cash and Bank balances

(d) Other current assets

(e) Loan and advances

Total (a to e)

3.2 Current liabilities and provision

(a) Current liabilities

(b) Provisions

Total (a+b)

Working Capital (3.1 minus 3.2)

Total of (II)

6. Management:

(a) Board of Directors

(b) Executive set-up

7. A. (1) Brief description of the proposed project
and how the project is expected to improve
the operations/viability of the sugar factory
(enclose a copy of the project report)

(2) Proposed ethanol manufacturing capacity (₹000 litres)

(3) Project implementation period (months)

B. Financial Details as appraised (Rs. lakhs)

(1) Capital cost of project

(2) Sources of financing

Equity.—

(a) Promoters' contribution Debt:

(a) Sugar Development Fund Loan

(b) Term loan

Total Investment

C. Project viability details:

(1) Average return on Equity (%)

(2) Average interest rate on debt (%)

(3) Weighted average cost of capital (%)

(4) Average Debt Service Coverage Ratio

(5) Pay back period (years)

- (6) Net Present Value (Rs. ₹000)
- (7) Internal Rate of Return (IRR) (%)
8. Whether the project has been approved by an All India Financial Institution/Scheduled Bank for assistance under its relevant scheme (name of the scheme and pattern of funding of the scheme):
- (a) If so enclose a certified true copy of the "Letter of Intent" issued by the Lead Institution
- (b) List out any condition(s) of material nature stipulated by the Lead Institution including rate of interest repayment period and security
9. Please furnish the project profitability and cash flow statement in the proforma at Annexure.

Place:

Signature

Name

Date:

Designation

Name and Address of the Sugar

Factory (Occupier).

ANNEXURE

Project profitability and cash flow statement
(for the year of investment and subsequent 10 years)

Year ended

200

200

200

(Rs. in lakhs)

Capacity Utilisation (%)

1. Profitability

- (1) Sales net of Excise Duty
- (2) Less:
Direct Production Expenses
- (3) Gross Profit (1-2)
- (4) Less:
(a) Manufacturing Expenses
(b) Administrative Expenses
(c) Selling and Distribution Expenses
Total of (4)
- (5) Operating profit before depreciation and interest (3-4)
- (6) Add: other income
- (7) Net profit before depreciation and interest (5+6)

(8)	Less:	(a) Depreciation	(b) Interest	Total of (8)	(9) Net profit before taxation (7-8)	(10) Less:	Provision for taxation	(11) Net profit after tax (9-10)	(12) Equity as at the end of	(13) Return on equity $[(11)/(12)*100]$	(14) Debt as at the end of	(15) Average interest rate on debt $[(8b)/(14)*100]$	(16) Weighted average cost of capital	$[(12)+(13)+(14)+(15)]/[(12)+(14)]$	2. Cash flows	(1) Net profit after tax (see item I(11))	(2) Add: Items debited to profit and loss account	(a) Depreciation	(b) Interest expenses	(c) Income-tax provisions	(d) Other non-cash debits	Total of (2)	(3) Total (1+2)	(4) Less: Items credited to profit and loss account	(a) Interest income	(b) Dividend income	(c) Other credits (to specify)	Total of (4)	(5) Total (3-4)	(6) Less:	(a) Interest paid	(b) Income-tax paid	(c) Dividends paid	Total of (6)	(7) Total (5-6)	(8) Add: revenue receipts and actually received	(a) Interest	(b) Dividend	(c) Other receipts (to specify)	Total of (8)	(9) Total (7+8)
-----	-------	------------------	--------------	--------------	--------------------------------------	------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	----------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------	---	---	------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------	---	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------	-----------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------	-----------------	---	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------------

(10). Working Capital Changes

(i) Add:

- (a) Decrease in sundry debtors/receivables
- (b) Decrease in inventories
- (c) Increase in sundry creditors/payables

Total of (i)

(ii) Less:

- (a) Increase in sundry debtors/receivables
- (b) Increase in inventories
- (c) Decrease in sundry creditors/payables

Total of (ii)

Total of item 10[(i)-(ii)]

(11) Cash flow from operations (9+10)

(12) Capital Items:

(i) Add:

- (a) Issue of share Capital
- (b) Issue of Debentures
- (c) Long term loans
- (d) Sale of Assets

Total of (i)

(ii) Less:

- (a) Investment in Project
- (b) Redemption of Capital
- (c) Redemption of Debentures
- (d) Repayment of long-term loans

Total of (ii)

Total of Item 12[(i)-(ii)]

(13) Total cash flow (11+12)

(14) Debt Service Coverage $[(11)/(2b+12h/(i-\text{Tax rate}))]$

(15) Payback period (years)

(16) Net Present Value (discount rate at I(16) above)

(17) Internal Rate of Return

[F. No.11-18/2015-SDF]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy. (S&SA)

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 752(E) dated 27th September, 1983 and was last amended vide notification number G.S.R. 210(E) dated 8th April, 2013.